तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 96 / 2024 विनोद बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री राजीव महला उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का उदावास तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 165, 186, 188 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.93 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान आदेश होने पर दिनांक 19.01.2024 को पटवारी हल्का उदावास ने मौके पर जाकर रिपोर्ट की कि मौके पर विवाद की स्थिति है तथा टीम गठन कर सीमाज्ञान करवाया जाये। मौके पर भूमि की पुख्ता सीमा कायम नहीं है, जिससे सीमा पर विवाद होने की संभावना है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया गया। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का उदावास तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 165, 186, 188 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.93 है0 अवस्थित है जो मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना साबित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान सही तरीके से करवा कर अपनी खातेदारी भूमि पर ही पत्थरगडी करवाना चाहता है। चूंकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा :– –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का उदावास तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 165, 186, 188 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.93 है0 भूमि का टीम गठन कर पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूला जाकर सीमाज्ञान करवाये तथा सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगडी करवायें। यदि मौके पर विवाद की संभावना हो तो संबंधित थानाधिकारी से संपर्क कर अचित पुलिस जाप्ता प्राप्त करें। खर्चा प्रार्थी अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। (सुमन सोनल) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	